

न्यायालय:- नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार (म.प्र.)

-आपराधिक कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2025-

क्रमांक-457/2025

धार, दिनांक : 22.09.2025

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्रमांक-182 धार दिनांक 12.04.2025, (समस्त संशोधन सहित) को निरस्त करते हुए धार जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन नीचे लिखे अनुसार करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धार के अनुमोदन पश्चात् से आगामी अन्य आदेश होने तक निरन्तर प्रभावशील रहेगा :-

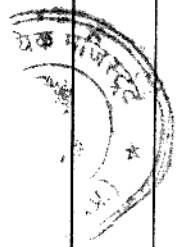
1	2	3	4
1	नताशा शेख पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार	संपूर्ण जिला धार	1-सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धार द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र। 2-तेजाब फेंककर क्षति या उपहति करने विषयक आपराधिक प्रकरण। 3-श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4-जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी) 5-नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6-रेलवे अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय (रेलवे न्यायालय) के अतिरिक्त प्रकरण। 7-मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 101 व 102 से संबंधित प्रकरण/आवेदन व उक्त अधिनियम से संबंधित अन्य प्रकरण। 8-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 9-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के झापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनांक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु।	संपूर्ण तहसील धार	1-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2-संपूर्ण तहसील धार में वन अधिनियम एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3-संपूर्ण तहसील धार में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4- संपूर्ण तहसील धार के जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रकरण। 5- संपूर्ण तहसील धार के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन

			अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 6-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
		1-आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार 2-आरक्षी केन्द्र पीथमपुर (सेक्टर-3 बगदून) 3-आरक्षी केन्द्र यातायात, धार	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण। 9-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त धार द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
2	श्री धर्म कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार	1-आरक्षी केन्द्र माण्डव 2-आरक्षी केन्द्र नालछा 3-आरक्षी केन्द्र सादलपुर	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।



			9-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 10-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
3	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र सेक्टर नम्बर 01 पीथमपुर	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7- उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 10-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण
		महिला पुलिस थाना धार	उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत पंजीबद्ध अपराध से समस्त कार्यवाही, अंतिम प्रतिवेदन व खात्मा प्रकरण।
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील धार (माह जनवरी से सितंबर तक)	1-सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)। 2- अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण)। 3-सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से

			संबंधित समस्त कार्यवाहियों भी शामिल होगी)।
4	सुश्री संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1-आरक्षी केन्द्र तिरला	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधो से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7- उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 10-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सागौर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
		सम्पूर्ण तहसील धार	1-सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 2-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण।
5	श्रीमती उषाकांता कृषाण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	—	1-स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरण (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 2-आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 3-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
6	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र नौगांव	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधो से संबंधित प्रकरण।

			2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) । 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन । 4-उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र । 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण । 7- उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण । 9-आरक्षी केन्द्र पीथमपुर (से.न.3 बगदून) के क्षेत्रान्तर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र । 10-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत तथा थाना पीथमपुर (से.न.3 बगदून) से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण । 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण । 12-ऐसे न्यायालय जो रिक्त हैं, उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही ।
		संपूर्ण तहसील धार	1-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 2-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण ।
7	श्रीमती रेखा द्विवेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	आरक्षी केन्द्र, सागौर	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण । 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) । 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन । 4-उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र । 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले

			आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7- उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत तथा थाना तिरला से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 10-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
8	श्रीमती मानसी सिंगोदिया आरोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	3-आरक्षी केन्द्र विशेष पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, (अ.जा.क) धार	1-स्वयं के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 2- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण अजाक, धार से उत्पन्न ऐसे प्रकरण जिनका विचारण माननीय विशेष न्यायालय अ.जा./अ.ज.जा.,(अ.नि.) अधि. धार द्वारा किया जाता है, को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण। 3-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत तथा थाना कोतवाली संबंधित धारा 52-क एन.डी. पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 4-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील धार (माह अक्टूबर से दिसंबर तक)	1-सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)। 2- अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. /अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण)। 3-सम्पूर्ण तहसील धार के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।
9	सुश्री नेहा प्रधान	—	1-स्वयं के न्यायालय में लंबित प्रकरण

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर		(अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) । 2-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण ।
10	सुश्री जसविता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	आरक्षी केन्द्र बदनावर	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण । 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) । 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन । 4-उक्त थाना के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र । 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण । 7- उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण । 9-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण ।
	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के झापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनांक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु ।	संपूर्ण तहसील बदनावर	1- संपूर्ण तहसील के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण । 2-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण । 3-सम्पूर्ण तहसील के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण । 4-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण । 5-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 6-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण । 7-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण ।

			8-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
11	श्रीमती सीमा धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर		1- स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बदनावर-अ (बदनावर) द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3-ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही। 4-थाना बदनावर क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 5-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील बदनावर	1-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)। 2- अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण)। 3-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।
12	सुश्री पलक प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	आरक्षी केन्द्र कानवन	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा. ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाय विलेख अधिनियम के एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।



			8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बदनावर-ब (कानवन) द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 10-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
14	श्री विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	आरक्षी केन्द्र धामनौद	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधो से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना. सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र तथा अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के ज्ञापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनांक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु।	सम्पूर्ण तहसील धरमपुरी	1- सम्पूर्ण तहसील के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 3-सम्पूर्ण तहसील के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण। 4-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित



			समस्त प्रकरण । 5-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 6-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण । 7-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण । 8-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है ।
15	श्री श्रीकृष्ण बरार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन कड़ी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में ।	आरक्षी केन्द्र धरमपुरी । तहसील धरमपुरी	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण । 2-स्वयं के न्यायालय में लंबित प्रकरण । 3-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही । 4-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण । 1-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर) । 2- अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण) । 3-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियों भी शामिल होगी) ।
16	श्री सचिन कुमार जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	1-आरक्षी केन्द्र कुक्षी 2-आरक्षी केन्द्र बाग	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण । 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही । (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन । 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र । 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण ।

	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के ज्ञापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनांक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु।	संपूर्ण तहसील कुक्षी	7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कुक्षी द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 10-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
			1- संपूर्ण तहसील के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण। 4-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 5-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 6-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 7-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण। 8-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
17	श्री हर्षराज दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	1-आरक्षी केन्द्र टाण्डा 2-आरक्षी केन्द्र उही	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता,

	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील कुक्षी	वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
18	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	आरक्षी केन्द्र मनावर	1-सम्पूर्ण तहसील कुक्षी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील कुक्षी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)। 10-संपूर्ण तहसील कुक्षी क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा. ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त मनावर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 10-ऐसे न्यायालय जो रिक्त है उन न्यायालयों के अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में समस्त कार्यवाही।



	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के झापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनोंक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु।	संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी	11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। 1- संपूर्ण तहसील मनावर व गंधवानी के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2-संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 3-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण। 4-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 5-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 6-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 7-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण। 8-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
19	श्री अभिषेक सोनी (जूनि.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	आरक्षी केन्द्र गंधवानी	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना. सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर)। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गंधवानी द्वारा प्रस्तुत उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत आबकारी

			अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 10-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
20	श्री कृष्णा वोहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर एवं		1-स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2- थाना मनावर क्षेत्रांतर्गत से संबंधित धारा 52-क एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 3-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मनावर	संपूर्ण तहसील मनावर	1-संपूर्ण तहसील मनावर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। संपूर्ण तहसील मनावर
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	संपूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी	1-सम्पूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील मनावर एवं गंधवानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)।
22	श्रीमती उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1-आरक्षी केन्द्र सरदारपुर	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरदारपुर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।



			8-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 9-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 10-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
		सम्पूर्ण तहसील सरदारपुर	2-संपूर्ण तहसील सरदारपुर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।
23	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1-आरक्षी केन्द्र अमड़ोरा 2- महिला बोर्ड	1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 9-उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत तथा थाना सरदारपुर से संबंधित धारा 52-क एन.डी. पी.एस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण। 10- उक्त थानों से संबंधित ऐसे प्रकरण जो कि उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर में लंबित है और उनमें राजीनामा पेश होकर संपूर्ण प्रकरण का निराकरण राजीनामे के आधार पर किया जा सकता है। 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु गाननीय म. प्र. उच्च न्यायालय	संपूर्ण तहसील सरदारपुर	1-सम्पूर्ण तहसील सरदारपुर में स्थित थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा

	के ज्ञापन क्र.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में । कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के ज्ञापन क्रमांक-109/SW-Mstt./2025 धार दिनांक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु	अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण। 2-सम्पूर्ण तहसील सरदारपुर के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ भी शामिल होगी)। 3- संपूर्ण तहसील सरदारपुर के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण। 5-दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 64-म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 7-म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 8-औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण। 9-अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
24	सुश्री रुही एजाज़ मेव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1-आरक्षी केन्द्र राजौद 2- आरक्षी केन्द्र राजगढ़ 1-विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र. सं./भा.ना.सु.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2-विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। (अध्याय-9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा. ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) 3-उक्त थाना क्षेत्र के समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 4-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र एवं अन्य निजी परिवाद पत्र। 5-आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरदारपुर द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7-उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 8-उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।



			9-उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 10- उक्त थानों से संबंधित ऐसे प्रकरण जो कि उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर में लंबित है और उनमें राजीनामा पेश होकर संपूर्ण प्रकरण का निराकरण राजीनामे के आधार पर किया जा सकता है। 11-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
--	--	--	--

अनुमोदित।

A. Arora
(संजीव कुमार अग्रवाल)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धार जिला धार (म.प्र.)

N. K. 2-09-2025
(नताशा शेख पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

न्यायिक अधिकारों के अनुपस्थित रहने पर प्रचार
मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य
नीचे लिखे अनुसार कॉलम नं.-3 के मजिस्ट्रेट उपलब्धता के क्रमानुसार, संपादित करेंगे।

[illegible]

[illegible]

	सरदारपुर	3. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
23	सुश्री रूही एजाज मेव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर	1. श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्रीमती उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर 3. सुश्री शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
टीप:- 1. विशेष परिस्थिति में जिला/तहसील मुख्यालय के न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर होने की स्थिति में उपरोक्त तालिका अनुसार कमवर्ती आगामी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त न्यायालयों के आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जावेंगे। 2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य धारा 436 एवं 437 दं.प्र.सं./धारा 478 एवं 480 भा.ना.सु.सं. के तहत जमानत एवं सुपुर्दगी आवेदन का निराकरण एवं प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना, न्यायिक रिमाण्ड तथा पुलिस रिमाण्ड निराकृत करना आदि है। 3. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर रहने पर प्रभार में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संबंधित थानों के आवश्यक समरी प्रकरण प्रस्तुत होने पर स्वीकारोक्ति की दशा में उन्हें अपने ही न्यायालय में पंजीबद्ध दर्ज कर निराकृत करेंगे। 4. कॉलम नंबर 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी प्रकार की अवकाश पर जाने के पूर्व अवकाश आवेदन पत्र की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट को प्रदान करेंगे।		

(नताशा शेख पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं के अधीन कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु कथन हेतु प्रभार
नीचे लिखे अनुसार कालम नं.-3 में मजिस्ट्रेट जो भी कम से उपलब्ध होंगे, धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं के तहत कालम नं.-2 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा लाये जाने पर कथन लिपिबद्ध करेंगे:-

न्यायिक अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ कर्नाटका विरुद्ध शिवन्ना उर्फ तरकारी शिवन्ना एस.एल.पी. (किमीनल) नं. 5073/2011 दिनांक 25.04.2014 में प्रतिपादित दिशा निर्देश के अनुसार पीड़िता के कथन यथासंभव शीघ्रतापूर्ण लिपिबद्ध करेंगे।



जिला मुख्यालय धार पर महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध को छोड़कर अन्य अपराध में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	कोतवाली धार एवं तिरला	1. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	नौगांव एवं पीथमपुर सेक्टर-3 (बगदून)	1. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्री मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
3	सेक्टर नंबर-1 पीथमपुर एवं सागौर	1. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमति बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
4	माण्डव एवं नालछा	1. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार, 2. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
5	सादलपुर एवं तिरला	1. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमति मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
6	महिला पुलिस थाना	1. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार

	धार	2. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
जिला मुख्यालय धार पर महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	आरक्षी केन्द्र नौगांव एवं पीथमपुर सेक्टर-3 (बगदून)	1. श्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार, धार 3. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	आरक्षी केन्द्र कोतवाली धार एवं सागौर	1. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
3	आरक्षी केन्द्र मांडव एवं नालछा	1. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
4	आरक्षी केन्द्र सेक्टर नंबर-1 पीथमपुर एवं आरक्षी केन्द्र विशेष पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण (अ.जा.क) धार	1. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
5	आरक्षी केन्द्र सादलपुर एवं तिरला	1. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
तहसील मुख्यालय धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन हेतु प्रभार		
क.	आरक्षी केंद्र का नाम	प्रभारी न्यायिक अधिकारी के नाम
1	धरमपुरी (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्री विवेक जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमपुरी 2. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर 3. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर

	2.सरदारपुर, 3.राजोद, 4. राजगढ़ के महिलाओं से संबंधित अपराध	2. श्री उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार 3. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
16	बदनावर (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. सुश्री पलक प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. श्रीमती सीमा धाकड़,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती बाबी जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
17	कानवन (महिलाओं से संबंधित अपराध से अन्य अपराध)	1. श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
18	1.कानवन 2.बदनावर के महिलाओं से संबंधित अपराध	1. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री पलक प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार

सामान्य टीप :-

1	रिमाण्ड ड्यूटी लगाये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट स्वयं के न्यायालय में उनके न्यायालय के कर्मचारीगण सहित दिन में 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड संबंधी कार्य संपादित करेंगे, उक्त दिनांक को को प्रोटोकॉल होने पर जिला रजिस्ट्रार का प्रोटोकॉल में सहयोग भी करेंगे तथा जिला रजिस्ट्रार के अवकाश में होने पर प्रोटोकॉल से संबंधित आवश्यक व्यवस्था भी संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा निर्देशन अनुसार अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार संपूर्ण जिले में चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धार को पूर्व सूचना देकर तथा अन्य सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार से अनुमति प्राप्त कर अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय संचालित करेंगे।
3	समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यदि धारा 167 (2) दं.प्र.सं./187(2) भा.न.सु.सं. के तहत पुलिस रिमांड स्वीकार करते हैं तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार की ओर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार सम्पूर्ण जिला धार के किसी भी न्यायालय से संबंधित अभियोग पत्र, अंतिम प्रतिवेदन तथा अन्य परिवाद आदि ग्रहण कर सकेंगे।
5	जिस न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है वही न्यायालय स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को लाये जाने पर उस प्रकरण का विचारण करेगा। यदि स्थाई वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय रिक्त है तो ऐसे स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में वारंटी को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा जिनके पास वारण्ट निष्पादन करने वाले आरक्षी केन्द्र के मामलों को सुनने की अधिकारिता है तथा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त प्रकरण का विचारण किया जावेगा।
6	माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्णय/आदेश का पालन/क्रियान्वयन उसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसके द्वारा प्रकरण निराकरण किया गया है। यदि प्रकरण के निराकरण करने वाला न्यायालय रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसके पास वर्तमान में संबंधित आरक्षी केन्द्र के प्रकरणों को सुनने की अधिकारिता है।

7	जिले के समस्त थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर बालकों के अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण श्रीमती उषाकांता कृषाण , प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुने जायेंगे।
8	नगरपालिका धार क्षेत्र के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125, 126, 127 एवं 128/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, 145, 146, 147 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय धार के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
9	अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संशोधित अधिनियम 2016 की धारा-8 के परंतुक के आलोक में उक्त अधिनियम से संबंधित अपराध के अधीन प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही तथा इसी प्रकार बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही विशेष परिस्थितियों में संबंधित थाने के प्रभार वाले मजिस्ट्रेट या रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकेगी तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/माननीय विशेष न्यायाधीश (बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम) के न्यायालय में भेजी जावेगी।
10	महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधित मामलों में जिस मजिस्ट्रेट को उक्त मामले सुनने हेतु अधिकृत किया गया है, ऐसे मामलों में धारा-164 द0प्र0सं0/183 भा.न.सु.सं के कथन उक्त न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं किये जायेंगे और उनके स्थान पर अगले प्रभारी न्यायिक अधिकारी ऐसे कथन लेखबद्ध करेंगे। इसी प्रकार जिस मजिस्ट्रेट को जो आरक्षी केन्द्र के मामले सुनने हेतु अधिकृत किया गया है, उस आरक्षी केन्द्र के मामलों में धारा-164 द0प्र0सं0/183 भा.न.सु.सं के कथन उक्त न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं किये जायेंगे और उनके स्थान पर अगले प्रभारी न्यायिक अधिकारी ऐसे कथन लेखबद्ध करेंगे।
11	आरक्षी केन्द्र नौगांव दिनांक 01.07.2015 को आरक्षी केन्द्र धार के क्षेत्राधिकार से पृथक करते हुए नवीन आरक्षी केन्द्र बनाया गया है, जिससे आरक्षी केन्द्र धार को जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट जिनकी आमद आरक्षी केन्द्र धार में हैं, उन्हें आरक्षी केन्द्र धार के तथा जिनकी आमद आरक्षी केन्द्र नौगांव में है, उन्हें आरक्षी केन्द्र नौगांव के सुनने की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त प्रकरण का विचारण किया जावेगा।
12	महिलाओं के विरुद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से तात्पर्य है, धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354-ए, बी, सी, डी तथा 354-ए म.प्र.संशोधन अधिनियम, 366, 366ए, 366बी, 376, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.दं.वि/धारा 88, 89, 90, 91, 74, 74-ए, बी, सी, डी, 87, 96, 141, 64, 66, 67, 68, 70 भा.न्या.सं. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती तथा निवारण अधिनियम 1957 एवं ऐसे समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जा सकते हैं।



Handwritten signature and date: 22-09-2025

**धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कस्टोडियल डेथ केस की
मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में प्रभार**

धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत जिला स्थापना धार में कस्टोडियल डेथ केस की मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में निम्नलिखित तालिकानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

नोट:- नीचे लिखे अनुसार कालम नं.-3 में मजिस्ट्रेट जो भी कम से उपलब्ध होंगे, उनके द्वारा धारा 176 दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कालम नं.-2 में वर्णित तहसीलों पर जांच की जावेगी)

क.	तहसील	जांचकर्ता मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा जांच की जाना है	जांचकर्ता मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार
(1)	(2)	(3)	(3)
1	धार	माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती मानसी सिंगोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह अप्रैल, मई एवं जून श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती मानसी सिंगोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह जुलाई अगस्त एवं सितम्बर सुश्री संजना मालवीया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती मानसी सिंगोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर श्रीमती शिखा लोकेश दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार	1. श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 2. धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 3. श्रीमती उषाकांता कृषाण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 5. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार 6. श्रीमती मानसी सिंगोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
2	सरदारपुर	माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून श्री उर्मिला खेड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. श्रीमती रुही एजाज मेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. सुश्री संजना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार 4. श्रीमति मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

			श्रेणी, धार
		माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरदारपुर	1. श्रीमती उर्मिला खेडकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 2. सुश्री रुही एजाज मेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 3. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार 4. सुश्री संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
3	बदनावर	माह जनवरी, फरवरी, मार्च सुश्री नेहा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	1. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. सुश्री पलक प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी बदनावर 4. श्रीमती रेखा द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार
		माह अप्रैल, मई, जून सुश्री जसविता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	1. श्रीमती सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. सुश्री पलक प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर श्रीमती सीमा धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	1. सुश्री पलक प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 4. श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
		माह अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर सुश्री पलक प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदनावर	1. सुश्री नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 2. सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर 3. श्री सीमा धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर 4. श्रीमती बाबी जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार
4	मनावर	माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	1. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 2. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री सचिन कुमार जाधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी 4. हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी
		माह मई, जून, जुलाई एवं अगस्त श्री कृष्णा वोहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर	1. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 2. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी 4. श्री सचिन कुमार जाधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी
		माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	1. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 2. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी 4. श्री सचिन जाधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी

		श्रेणी, मनावर	
5	कुक्षी	माह जनवरी से जून श्री सचिन कुमार जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	1. श्री हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी 2. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
		माह जुलाई से दिसम्बर श्री हर्षराज दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी	1. श्री सचिन कुमार जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी 2. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
6	धरमपुरी	माह जनवरी से जून श्री विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	1. श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 2. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर
		माह जुलाई से दिसम्बर श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	1. श्री विवेक जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी 2. श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 3. श्री कृष्णा वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर 4. श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनावर

नोट:- भविष्य में न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण आदि पर नव पदस्थ न्यायिक अधिकारी यथावत इस आदेश के अधीन सशक्त मान्य समझे जावेंगे।

अनुमोदित।

(संजीव कुमार अग्रवाल)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धार जिला धार (म.प्र.)

(नताशा शेख पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 457/2025

धार, दिनांक 22.09.2025

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर।
- 2- माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर।
- 3- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- कलेक्टर, धार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- पुलिस अधीक्षक, धार की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित (ई-मेल से)
- 6- श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, न्यायालय, धार को सूचनार्थ। (ई-मेल से)
- 7- श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)

- 8-- श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित। (ई-मेल से)
- 9-- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। (ई-मेल से)
- 10-- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, धार/सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित। (ई-मेल से)
- 11-- जिला अभियोजन अधिकारी, धार। (ई-मेल से)
- 12-- वन संरक्षक वृत्त, धार। (ई-मेल से)
- 13-- श्रम पदाधिकारी, धार। (ई-मेल से)
- 14-- मुख्य अभियंता, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. धार। (ई-मेल से)
- 15-- सी.एम.ओ., नगरपालिका धार। (ई-मेल से)
- 16-- जिला आबकारी अधिकारी, धार। (ई-मेल से)
- 17-- सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)
- 18-- जिला विधिक सहायता अधिकारी, धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)
- 19-- जेल अधीक्षक जिला धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)
- 20-- अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)
- 21-- जिला दूरसंचार प्रबंधक, जिला धार की ओर सूचनार्थ। (ई-मेल से)


 (नताशा शेख पटेल)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 धार जिला धार (म.प्र.)